# फतेहगढ़ पुलिस

## प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

## दिनांक :- 14.10.2024

## दिनांक 13.10.2024 को आवेदक द्वारा लूट की झूठी सूचना देने सम्बन्धी प्रेसनोट

**घटना का विवरण:-** दिनांक 13.10.2024 को समय लगभग 10.30 बजे अशोक नट पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम कटैया थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रूखाबाद द्वारा थाना आकर सूचना दी गई कि रोहिला अण्डरपास के पास नवाबगंज की तरफ किनारे पर दो काली अपाचे बिना नम्बर सवार लोगों ने मुझे रोककर छिबरामऊ एवं नवाबगंज जाने का रास्ता पूछा, तो मैने उन लोगों को रास्ता बताया इतने में उन लोगों ने मुझे पकड लिया और मेरी जेब में पडे एक लाख रूपये छीनकर नवाबगंज की तरफ भाग गये और मेरी मोटरसाईकिल की चाभी व मोबाइल करीब 100 मीटर की दूरी पर फेंक गये।

**पुलिस कार्यवाही:-** सूचना पर तत्काल प्र0नि0 मय हमराह पुलिस बल के आवेदक को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना की सूचना उच्चाधिकारीगणो को दी गई। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद व एसओजी टीम भी तत्काल मौके पर पहुँचे। आवेदक से पूछताछ की गई तो बताया कि मैं दिनांक 12.10.2024 को दो भैंस व दो पड्डे प्रदीप यादव निवासी मोती नगला के लोडर मे लादकर छिबरामऊ बेंचने गया था। मेरे जानवर एक लाख पांच हजार रूपये के बिके थे। वह रूपये मेरी जेब में पडे थे। मुझे जोगेन्द्र यादव निवासी रोहिला के इक्यावन हजार रूपये तथा ग्राम सिरौली के नेकसे के सैतालिस हजार चार सौ रूपये उधारी के देने थे। क्योंकि मैं जानवरों का काम कर रहा हूं इसलिये कास्तकारों से जानवर उधार ले जाते हैं और बेंचकर उनके रूपये देते हैं। इसलिये आज मैं अपने गांव कटैया से मोहम्मदाबाद आया। वहां पर मैने एक ठेली पर बिरयानी खाई इसके बाद मोहम्मदाबाद में बेवर रोड पर एक फौजी की भैंस देखी। जब फौजी की पत्नी ने भैंस बेचने से मना कर दिया तो मैं ग्राम सिरौली नेकसे के पैसे देने जा रहा था। तभी मेरे साथ रोहिला अण्डरपास के पास लूट हो गयी। लोडर चालक प्रदीप यादव से पूछा गया तो उसने बताया कि केवल दो पड्डे व एक भैंस लेकर मैं अपने लोडर से छिबरामऊ गया था। जिसमें एक भैंस अशोक की थी और दो पड्डे इसके भाई चन्द्रपाल के थे। फिर अशोक द्वारा बताया गया कि मैने एक लाख पांच हजार के जानवर बेचे थे। जानकारी करने पर पता चला कि अशोक की भैंस केवल अडतालिस हजार की बिकी थी। इसके बाद बताया कि मैने अपनी पत्नी को पैतालिस सौ रूपये घर पर दिये थे। पत्नी से जानकारी की गई तो बताया कि मुझे केवल पन्द्रह सौ रूपये दिये थे। इसके बाद अशोक द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.10.2024 को मै जानवर बेंचकर छिबरामऊ से करीब 9 बजे घर वापस आ गया था। इसके बाद मै जोगेन्द्र के पास ग्राम रोहिला चला गया था। जोगेन्द्र यादव से बुलाकर पूछा गया तो बताया कि मेरे इक्यावन हजार रूपये अशोक पर उधार हैं। जब मैने अशोक से रूपये मांगे थे तो अशोक ने कहा था कि अभी मेरे पास नही हैं । कुछ दिन में व्यवस्था करके दे दूंगा। अशोक के पास उस समय कोई रूपये नही थे । जबकि अशोक द्वारा बताया गया कि मेरी जेब में एक लाख रूपये थे । पहले अशोक द्वारा बताया गया कि मेरे साथ एक लाख रूपये की लूट हुई है कुछ देर बाद बताया गया कि मेरे पास तिरसठ हजार रूपये थे। जिनको बदमाशों ने लूट लिया है । अशोक द्वारा बताये गये बाजार छिबरामऊ से जानकारी की गई तो एक भैंस अडतालिस हजार रूपये की बिक्री होना पाया गया है तथा जिस रास्ते से अशोक द्वारा जाना बताया गया उस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा देखने पर अशोक 09.51 बजे पर रोहिला चौराहे से नवाबगंज की तरफ को जाना पाया गया है तथा बतायी गयी मोटरसाईकिल अपाचे काला रंग बिना नम्बर व हुलिया बताये गये लडकों का आवेदक से आधा घण्टा पहले या आधा घण्टा बाद आना जाना नही पाया गया है ।

इसी तरह सिरौली या उसके आस पास तथा अन्य रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर आवेदक अशोक द्वारा बतायी गयी मोटरसाईकिल का आना जाना नही पाये जाने पर और आवेदक अशोक द्वारा बार बार झूठ बोलने व पुलिस को भ्रमित करने पर संदेह हुआ । पुनः पूछा गया तो अपने आप को झूठ में फंसता देखकर बताया कि साहब **मैं जानवरों का व्यापार करता हूं और किसानों का रूपया मेरे ऊपर काफी उधार हो गया है । किसान आये दिन मेरे घर पर आकर तगादा करते हैं । जिससे परेशान होकर मैने सोचा कि झूठा लूट का मुकदमा लिखवा दूं तो यह लोग कुछ महीने के लिये मुझसे तगादा नही करेंगे। यह कहानी बनाकर मैने थाना मोहम्मदाबाद जाकर अपने साथ लूट होने की झूठी सूचना दी थी। मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना नही हुई है।**

**मीडिया सेल फतेहगढ़**

# फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**कोतवाली फर्रुखाबाद**

**दि0- 14.10.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अकबर बादशाह पुत्र लुकमान निवासी ग्राम पपियापुर थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 798/2021 वाद स0- 84/2022 धारा- 376,323,328,506 भा0द0वि0 थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि0 के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 14.10.2024 को मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम कोर्ट फरू0 द्वारा अभि0 को दोषसिध्द कर 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 56,500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

एडीजीसी - श्री पंकट कटियार

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सुनील कुमार

पैरोकार का0 मुकेश पचौरी